पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल विविध न्यायनिर्णयन सं. 354/2018

==========

कल्याण साह, पिता- स्वर्गीय मनोहर साह, निवासी गांव-गोगरी जमालपुर (धर्मशाला के सामने), पी. ओ.-जमालपुर, पी. एस.-गोगरी, जिला-खगड़िया।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

मोस्मत रश्मि प्रिया, पति-स्वर्गीय गौरांग कुमार, निवासी गाँव-गोगरी जमालपुर, (धर्मशाला के सामने), पी. ओ.-जमालपुर, पी. एस.-गोगरी, जिला-खगड़िया।

..... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

==========

हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 - धारा 19

आपराधिक प्रक्रिया संहिता - धारा 125

निर्णित किया गया कि धारा 125 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 में लागू नहीं किया जा सकता।

फिर निर्णित किया गया कि परिवार न्यायालय ने हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के याचिका में आपराधीका प्रक्रिया संहिता के धारा 125 को अनुचित रूप से प्रयोग किया है।

अतः आक्षेपित आदेश को दरकिनार किया गया।

[धारा 8]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल विविध न्यायनिर्णयन सं. 354/2018

==========

कल्याण साह, पिता- स्वर्गीय मनोहर साह, निवासी गांव-गोगरी जमालपुर (धर्मशाला के सामने), पी. ओ.-जमालपुर, पी. एस.-गोगरी, जिला-खगड़िया।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

मोस्मत रश्मि प्रिया, पति-स्वर्गीय गौरांग कुमार, निवासी गाँव-गोगरी जमालपुर, (धर्मशाला के सामने), पी. ओ.-जमालपुर, पी. एस.-गोगरी, जिला-खगड़िया।

..... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री डॉ. सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री अनिल कुमार चौधरी, अधिवक्ता

==========

गणपूर्तिः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

सीएवी निर्णय

दिनांकः 19-01-2023

यह सिविल विविध आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत दायर रखरखाव मामला संख्या 41 (एम)/2017 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया द्वारा पारित दिनांक 09-01-2018

के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें और जिसके तहत याचिकाकर्ता को 10000/- रुपये प्रति माह की दर से उत्तरदाता को अंतरिम रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की विधवा बहू है जिसने हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया के न्यायालय में रखरखाव का मामला दायर किया था। प्रतिवादी ने उसे अंतरिम रखरखाव की अनुमति देने के लिए 20.11.2017 को एक आवेदन दायर किया। जिसमें विवादित आदेश पारित किया गया है।

3. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी को दो एल. आई. सी. पॉलिसियों से 8,57,279 रुपये मिले है और उसे खुद भी रखा है। उन्होंने उप-न्यायाधीश, गोगरी की अदालत में लंबित 2016 के विभाजन मुकदमा संख्या 65 के साथ विभाजन का मुकदमा भी दायर किया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पास न तो कृषि भूमि है और न ही वह नौकरी करने में सक्षम है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने Cr.P.C की धारा 125 के तहत अंतरिम रख-रखाव प्रदान किया है, जो इस तथ्य को देखते हुए कानून में मान्य नहीं है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 125 और धारा 19 के तहत भरण-पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया अलग है और नीचे दिया गया विद्वान न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि जब धारा 125 Cr.P.C के तहत कोई याचिका लंबित नहीं है, तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत लंबित अन्य कार्यवाही में कोई भी अंतरिम भरण-पोषण प्रदान नहीं किया जा सकता है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कहा है कि प्रत्यर्थी ने अपने पति की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ रखरखाव मामला संख्या- 64/2015 के रूप में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया के समक्ष मामला दायर किया, जिसे हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत ससुर के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया गया है। तदनुसार, प्रत्यर्थी ने रखरखाव मामला संख्या 41 (एम)/2017 दायर किया जिसमें विवादित आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता के पास दो किठा घर और एक विपणन

परिसर है और सभी किराए पर हैं और याचिकाकर्ता चावल-दाल की दुकान चला रहा है और 25 बीघा कृषि भूमि भी है और जिसकी मासिक आय दो लाख रुपये है, लेकिन याचिकाकर्ता प्रतिवादी को रखरखाव का भुगतान नहीं कर रहा है। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि निचली विद्वान न्यायालय ने हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम की धारा 19 के तहत अंतरिम रखरखाव पारित किया होगा, न कि धारा 125 Cr.P.C के तहत। उन्होंने कहा है कि अन्य धारा या प्रावधान का उल्लेख तब सामग्री नहीं है जब न्यायालय के पास आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है।

6. अधिनियम की धारा 19 का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विधवा बहू अपने ससुर से सिर्फ वहीं भरण-पोषण का दावा कर सकती है जहां वह अपनी संपत्ति या अपने पति, पिता, मां, पुत्र या बेटी की संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। यह भी कहा गया है कि ससुर अपनी बहू को बनाए रखने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होंगे, सिवाय उन मामलों के जहां उनके अधिकार में कुछ पैतृक संपत्ति है जिससे बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। ससुर के दायित्व को लागू नहीं किया जाएगा यदि उसके पास अपनी बहू को अपने अधिकार में किसी भी सहदायिक संपत्ति से रखने का कोई साधन नहीं है जिसमें बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है और बहू के पुनर्विवाह पर ऐसा कोई दायित्व समाप्त हो जाता है। यह तय कानून है कि एक महत्वपूर्ण राहत देने का अधिकार रखने वालो न्यायालय इसे अंतरिम आधार पर भी देने के लिए सक्षम है, भले ही इसे देने के लिए क़ानून में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो।

7. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता की विधवा बहू है जिसने हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम की धारा 19 के तहत रखरखाव याचिका दायर की है और कार्यवाही के दौरान उसमें अंतरिम रखरखाव के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और निचली अदालत ने धारा 125 Cr.P.C के तहत वैसा ही व्यवहार किया।

8. Cr.P.C की धारा 125 पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए एक आदेश से संबंधित है। बहू धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है, लेकिन वह हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है। हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत याचिका में धारा 125 Cr.P.C. का प्रावधान लागू नहीं की जा सकती है। इस न्यायालय की राय है कि परिवार न्यायालय हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम

की धारा 19 के तहत याचिका में अंतरिम रखरखाव के लिए Cr.P.C की धारा 125 के तहत प्रावधानों को लागू करने में उचित नहीं था।

9. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, इस सिविल पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है और विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया द्वारा पारित दिनांकित 09.01.2008 के विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

10. निचली विद्वत न्यायालय को कानून के अनुसार अंतरिम रखरखाव के लिए प्रतिवादी की याचिका पर नया आदेश पारित करने और रखरखाव मामला संख्या 41 (एम)/2017 के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है, यदि आज तक इसका निपटारा नहीं किया गया है।

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

आशुतोष/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।